नेशनल लोक अदालत बदनावर जिला धार (म.प्र.) खंडपीठ क्र. 22

पीठासीन अधिकारी जी.सी. मिश्रा जिला न्यायाधीश,
बदनावर, जिला धार (म.प्र.)

एमएसीसी क्र.	–	142 / 2024
फाइलिंग नं.	–	475 / 2024
सी.एन.आर. नं.	–	एम.पी.1105–002950–2024

मिनाक्षी (अवयस्क) के पालन कर्ता एवं संरक्षक पिता बलराम **विरुद्ध** मोह. इम्तियाज एवं अन्य

::: अधिनिर्णय :::

(आज दिनांक 09.05.2026 को राजीनामा के आधार पर पारित)

आज दिनांक को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बदनावर में इस खंडपीठ क्र. 22 के समक्ष आवेदकगण व अनावेदक बीमा कंपनी के अधिवक्तागण ने उपस्थित होकर इस आशय का राजीनामा आवेदन पेश किया कि उनके मध्य ₹ 1,00,000.00 में राजीनामा हुआ है। यह राजीनामा पक्षकारों के हित एवं विधि के अनुरूप है। उभयपक्ष द्वारा स्वस्थ मानसिक दशा में स्वतंत्र सहमति से राजीनामा किया जाना व्यक्त किया गया है। अतः विचारोपरांत राजीनामा आवेदन स्वीकार कर निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है :–

1. अनावेदक बीमा कंपनी आवेदकगण को **45 दिवस** के अन्दर क्षतिपूर्ति के रूप में कुल **₹1,00,000.00 (एक लाख रूपये)** अदा करेगा, विलंब होने पर उक्त राशि पर अधिनिर्णय दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की देय होगा।

2. यदि पूर्व में अंतरिम क्षतिपूर्ति की राशि दी गई है तो वह इस राशि में समायोजित की जावें।

3. आवेदक को प्राप्त होने वाली राशि में से **₹50,000 (पचास हजार रूपये)** उपचार के पर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु उसके अभिभावक को बचत खाते के माध्यम से नगद प्रदान की जावे एवं **₹50,000 (पचास हजार रूपये)** की राशि उसके वयस्क होने तक की अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में जमा की जावे।

4. अनावेदक बीमा कंपनी उक्त राशि को अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बदनावर जिला धार के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, मेन धार, 90 बसंत विहार कॉलोनी, कोर्ट रोड़, धार के खाता कमांक 538202010017439 में आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. अंतरण के माध्यम से जमा कर न्यायालय को सूचित करे।

5. आवेदकगण द्वारा अपने बैंक खाते की पासबुक की फोटोप्रति एवं आधार कार्ड प्रस्तुत किए जाने पर उपरोक्त राशि उसके खाते में आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से ट्रांसफर की जावे।

6. उभयपक्ष अपना–अपना व्यय वहन करेंगे।

सदस्य | **पीठासीन अधिकारी**